Need to raise new army regiments on the basis of caste ? laid

श्री अशोक कुमार रावत **(**मिश्रिख**):** सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार के सैन्य अधिकारियों के द्वारा देश की सभी जातियों को योद्धा और गैर योद्धा जातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था तथा 1857 तक जो भी जातियां ब्रिटिश प्रशिक्षित सैन्य बल में थी, उन्होंने ही उसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था लेकिन तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने पासी, लोधी, निषाद, केवट, मल्लाह, राजपूत, कोली, मीणा, अहीर, त्यागी, गुर्जर, जाट, सैनी इत्यादि जातियों पर 12 अक्टूबर 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के माध्यम से रोक लगा दी । स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1952 में सरदार वल्लभभाई पटेल ने इन जातियों को आपराधिक जातियों से मुक्त करके इनका सम्मान किया लेकिन अभी भी इन जातियों के सम्मान के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है । मेरा से सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार से गोरखा, जाट, महार, नागा, इत्यादि रेजीमेंट है, इस प्रकार से सातन पासी, जिन्होंने दलित और शोषित समाज में स्वाभिमान स्वावलंबन सह अस्तित्व की सुरक्षा के प्रति लोक और जागरूकता का साहसपूर्ण कार्य किया एवं पासी जाति और निषाद,लोधी, राजभर, मल्लाह इत्यादि जातियों के नाम से भी रेजीमेंट की स्थापना की जाय । मदारी पासी जाति को आने वाले चुनाव में प्रतिनिधित्व मिल सके ।